प्रेस नोट दिनांक 20.05.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों चोरी की 03 अदद बैटरी के साथ किया गया गिरफ्तार-

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा अभियुक्तों को थाना कोहंडौर क्षेत्रान्तर्गत मकूनपुर अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।
दिनांक 18.05.2026 को थाना कोहडौर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम वाजिदपुर रामापुर स्थित इंडस टावर साइट पर अज्ञात चोरों द्वारा डीजी कैनोपी का ताला तोड़कर 03 बैट्री चोरी कर ली गई। टेक्निशियन द्वारा आवाज देने पर आरोपी बैट्री लेकर फरार हो गए । इस संबंध में थाना कोहंडौर पर मु0अ0सं0 99/2026 धारा 303 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशांत राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोहंडौर श्री धनन्जय राय के नेतृत्व में उ0नि0 प्रतीक सिंह मय हमराह उ0नि0 भूपेश नाथ सिंह, हे0 का0 राजीव सिंह, का0 अनिल यादव, का0 मनीष कुमार यादव, रि0का0 सरोज अमन आदित्य द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर 03 अभियुक्तों, 1.गौरव उर्फ सुरज पुत्र तीरथ निवासी ग्राम टेकार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ उम्र 26 वर्ष 2.रघुबीर सरोज पुत्र श्याम शंकर सरोज निवासी ग्राम करिश्ता थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ उम्र 27 वर्ष 3.अजय सरोज पुत्र गामा सरोज निवासी ग्राम विजरा थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ उम्र 21 वर्ष को 03 अदद बैटरी के साथ थाना कोहंडौर क्षेत्रान्तर्गत मकूनपुर अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्तों के पास से मकूनपुर अण्डरपास बरामदगी के संबंध में मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बताया गया कि पैसों की तंगी के कारण हम लोगों ने ग्राम वाजिदपुर रामापुर स्थित जियो एवं एयरटेल टावर की बैट्री चोरी करने की योजना बनाई। एक अभियुक्त ने बताया कि वह पहले मोबाइल टावर पर काम कर चुका है, इसलिए उसे बैट्री खोलना आता था। दिनांक 18.05.2026 की रात तीनों अभियुक्त मोटरसाइकिल से टावर पर पहुंचे, तार काटकर अंदर घुसे तथा बक्से का ताला तोड़कर 03 बैट्री निकाल ली। इसी दौरान गार्ड के आ जाने पर वे मोटरसाइकिल मौके पर छोड़कर बैट्री लेकर भाग निकले और बैट्री को मकूनपुर अंडरपास के पास छिपा दिया। बाद में बैट्री बेचकर दूसरे प्रदेश भागने की योजना बना रहे थे, तभी आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. गौरव उर्फ सुरज पुत्र तीरथ निवासी ग्राम टेकार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ उम्र 26 वर्ष।

02. रघुबीर सरोज पुत्र श्याम शंकर सरोज निवासी ग्राम करिश्ता थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ उम्र 27 वर्ष।

03. अजय सरोज पुत्र गामा सरोज निवासी ग्राम विजरा थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ उम्र 21 वर्ष।

बरामदगी-

03 अदद बैटरी बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 प्रतीक सिंह मय हमराह उ0नि0 भूपेश नाथ सिंह, हे0 का0 राजीव सिंह, का0 अनिल यादव, का0 मनीष कुमार यादव, रि0का0 सरोज अमन आदित्य थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ

सिंचाई विवाद में मारपीट, फायरिंग, हत्या का प्रयास व तोड़फोड़ करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया प्रस्तुत

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा मारपीट, फायरिंग, हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त प्रमोद कुमार सिंह उर्फ दीपू को गिरफ्तार किया गया, 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया प्रस्तुत, साथ ही 01 अदद नाजायज असलहा(तमंचा) 315 बोर, 2. 01 अदद लाठी, 3. 02 अदद लोहे की चौकोर पाईप बरामद

प्रतापगढ़।

वादी ग्राम ईशीपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ द्वारा आरोप लगाया गया कि दिनांक 18/19.05.2026 की रात्रि खेत की सिंचाई के दौरान पानी का पाइप फाड़ने को लेकर हुए विवाद के पश्चात नामजद एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी एवं उसके परिजनों पर लाठी-डंडों एवं असलहे से हमला किया गया। घटना में कई व्यक्तियों को गंभीर चोटें आईं तथा डेरी एवं वाहन में तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि अभियुक्तगण फायरिंग करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। इस संबंध में थाना कोहंडौर में मु0अ0सं0 98/2026 धारा 191(2)/109(1)/324(4)/115(2)/351(3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोहंडौर श्री धनन्जय राय के नेतृत्व में थाना कोहंडौर के म0उ0नि0 आरती पटेल मय हमराह का अजय गौड़, रि0का0 सिद्धार्थ कुमार वर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोहंडौर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ईशीपुर मोड़ के पास से मु0अ0सं0 98/2026 धारा 190/191(2)/191 (3)/109 (1)/324(4)/115 (2)/351 (3) BNS व 3/25 आयुध अधिनियम से संबंधित 01 अभियुक्त प्रमोद कुमार सिंह उर्फ दीपू पुत्र रणजीत प्रताप सिंह उम्र करीब 46 वर्ष निवासी ग्राम मधुपुर कठार थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ को गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

अभियोग उपरोक्त से संबंधित 01 अदद नाजायज असलहा(तमंचा) 315 बोर, 2. 01 अदद लाठी, 3. 02 अदद लोहे की चौकोर पाईप बरामद किया गया है। अभियोग उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. प्रमोद कुमार सिंह उर्फ दीपू पुत्र रणजीत प्रताप सिंह उम्र करीब 46 वर्ष निवासी ग्राम मधुपुर कठार थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ।

02. 01 बाल अपचारी।

पुलिस टीम का विवरण-

म0उ0नि0 आरती पटेल मय हमराह का अजय गौड़, रि0का0 सिद्धार्थ कुमार वर्मा थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा "दहेज हत्या" के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त प्रदीप कुमार ओझा को किया गया गिरफ्तार-

थाना कोतवाली देहात पुलिस अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत कटरा चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण –

आरोपी ससुरालीजन द्वारा वादी ग्राम पचरास थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ की बहन को अतिरिक्त दहेज की माँग को लेकर प्रताड़ित करना तथा दिनांक 03/03/2026 को आरोपी ससुरालीजनों द्वारा वादी की बहन को जान से मार दिया गया। जिसमे वादी की तहरीर के आधार पर पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 61/2026 धारा 80 (2),85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अखिलेश प्रताप मय हमराह का0 किशन यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0061/2026 धारा 80(2),85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त 1.प्रदीप कुमार ओझा पुत्र गणेश प्रसाद ओझा निवासी ग्राम श्रीनाथपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 57 वर्ष को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत कटरा चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. प्रदीप कुमार ओझा पुत्र गणेश प्रसाद ओझा निवासी ग्राम श्रीनाथपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 57 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अखिलेश प्रताप मय हमराह का0 किशन यादव थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना महेशगंज पुलिस द्वारा "दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी" के अभियोग से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त कौनेन खान व सैफ हुसैन को किया गया गिरफ्तार-

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा अभियुक्तों को थाना क्षेत्रान्तर्गत आईटीडी अण्डरपास, राय असकरनपुर के पास से किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी महेशगंज संदीप कुमार तिवारी मय हमराह व0उ0नि0 नीरज सिंह कुशवाहा, का0 रामवीर सिंह, का0 विशाल यादव, का0 राहुल कुमार व चालक का0 सुमित सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 65(1)/115(2)/127(2)/137(2)/352/351(3)/61(2)A बीएनएस व 3a/4(2)/16/17 पॉक्सो एक्ट व 3(1)ब/3(1)/3(1)/3(2)va/3(2)v एससी/एसटी एक्ट थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त 1.कौनेन खान पुत्र रऊफ खान उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम गुजवर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष 2.सैफ हुसैन पुत्र परवेज हुसैन उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम गुजवर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत आईटीडी अण्डरपास, राय असकरनपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. कौनेन खान पुत्र रऊफ खान उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम गुजवर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।
02. सैफ हुसैन पुत्र परवेज हुसैन उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम गुजवर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
थाना प्रभारी महेशगंज संदीप कुमार तिवारी मय हमराह व0उ0नि0 नीरज सिंह कुशवाहा, का0 रामवीर सिंह, का0 विशाल यादव, का0 राहुल कुमार व चालक का0 सुमित सिंह थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा "हत्या के प्रयास" के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त सुमित शुक्ला व कुलदीप सरोज को किया गया गिरफ्तार-

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अभियुक्तों को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत सेमाग बाबा मन्दिर बन्धा, ग्राम बकोल के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।
दिनांक 06.02.2026 को वादी निवासी ग्राम खनवारी थाना संग्रामगढ़ में प्रधानी की रंजिश को लेकर विपक्षीगण द्वारा वादी के साथ गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में थाना संग्रामगढ़ पर मु0अ0सं0 21/26 धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस बनाम 05 नामजद व 4-5 व्यक्ति नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा की जा रही थी। मुकदमा उपरोक्त में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 191 (3)/109(1)/117 (2) की बढ़ोत्तरी की गई है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी नवाबंगज श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज के उ0नि0 विनय वर्मा मय हमराह का0 उपेन्द्र सिंह, का0 दुर्वीन यादव, का0 पंकज सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 21/26 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/115(2)/352/351(3)/117(2) बीएनएस थाना संग्रामगढ़ से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त 1.सुमित शुक्ला पुत्र शीतला प्रसाद निवासी खनवारी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष 2.कुलदीप सरोज पुत्र भगवान दीन सरोज निवासी ग्राम खनवारी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत सेमाग बाबा मन्दिर बन्धा, ग्राम बकोल के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. सुमित शुक्ला पुत्र शीतला प्रसाद निवासी खनवारी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।

02. कुलदीप सरोज पुत्र भगवान दीन सरोज निवासी ग्राम खनवारी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 विनय वर्मा मय हमराह का0 उपेन्द्र सिंह, का0 दुर्वीन यादव, का0 पंकज सिंह थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।